

25/01/2024

पत्रावली पेश हुई। बबुलाय उप०। झापील - झापील न
साबित नहीं होने से खारिज कि जाती है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखा जाकर खुले न्यायालय
सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।
पत्रावली फेरनल सुमार होकर नम्बर से समझकर
दाखिल दफतर हो।

(सुनील कुमार) नमः
अतिरिक्त जिला कलक्टर जेठ
नीमकासाना

